	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) 14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ U.P. POWER CORPORATION LIMITED (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking) (सिन न0–UP32201UP1999SGC024928)	

संख्या-I/11823/2025-पैं0एवंआर0-28/पाकालि/2025, 22-05-2025

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.02.2025 को सम्पन्न 211वीं बैठक में पारित प्रस्ताव/निर्णय के अनुपालन में "वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पूर्व शासनादेश संख्या: 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024, दिनांक 12.06.2024, जिसके द्वारा दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े जाने सम्बन्धी व्यवस्था कुछ प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गई है, के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के निर्गत शासनादेश संख्या: 30/2024/आई/757690/2024/10- 19099/4/2024, दिनांक 01.10.2024 को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में एतद्द्वारा यथावत/सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

संलग्नक: शासनादेश दिनांक 01.10.2024

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या:I/11823/2025-पैं0एवंआर0-28/पाकालि/2025, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के अपर निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. निदेशक (पेंशन), उ0प्र0 शासन, आई0एफ0एम0टी0आर0 कैम्पस, रिंग रोड, सेक्टर-25, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के अपर निजी सचिव।
6. निदेशक (कोषागार), कोषागार निदेशालय (उ0प्र0), जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. निदेशक (पारेषण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. महा निदेशक (विद्युत प्रशिक्षण संस्थान), सरोजनी नगर, लखनऊ।
11. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/स्तर-II) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।.
16. समस्त अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन (मुख्यालय), लखनऊ।
17. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पेंशन, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
18. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ को दिनांक 13.02.2025 को सम्पन्न 211वीं बैठक के मद संख्या-211(35) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
19. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, को उ0प्र0पा0का0लि0, की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।
20. सूचना पट/कट फाईल।

आज्ञा से,
22/5/25
(राजकपूर)
अनु सचिव (पैं0एवंआर0)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-30/2024/आई/757690/2024/10-19099/4/2024
लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण</u>

विषय- शासनादेश दिनांक 12.06.2024 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय, जिसके संबंध में शासन को विभिन्न माध्यमों एवं विभागों से प्रकरण के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

2- दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों को एक वेतनवृद्धि दिये के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 12.06.2024 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में स्पष्ट करना है कि प्रकरण से आच्छादित कार्मिकों को उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने की स्थिति में राशिकरण एवं ग्रेच्युटी भी आगणित होगी तथा अन्तर की धनराशि का भुगतान करने के साथ ही भुगतान किये जाने वाले राशिकरण के अन्तर की धनराशि के भुगतान की तिथि से पेंशन से कटौती की जायेगी।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2). समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

(3). समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(5). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।